25000
25000
INDIA NON JUDICIAL
25000
25000
25000
पच्चीस हजार रुपये

0400 012704

11 NOV 2011
A.T.O.(R.O.)
TRY.LKO.

<u>विक्रय विलेख</u>

विक्रय मूल्य	: रू0 10,02,668/-
बाजार मूल्य	: रू0 9,09,700/-
स्टाम्प शुल्क	: रू0 1,53,000/-
परगना	: लखनऊ

यह विक्रय विलेख कल्लू पुत्र भीखा, निवासी– ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया,,

[illegible]

[illegible] ১/১ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] দঃ [illegible]

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

04DD 012705

11 NOV 2024

A.R.O/C.O. TRY LKO

है, [illegible] पुत्र श्री मैकू, वर्तमान निवासी–254, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ एवं स्थाई निवासी–ग्राम –मिर्जापुर सिठारी, पोस्ट–नौगांव, जिला– फतेहपुर जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा नं० 1196, रकबा 1.333 हेक्टेयर, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित पटाधिक

[illegible] [illegible], [illegible]

क्रमांक [illegible]

दिनांक [illegible]

मूल्य [illegible]

क्रेता [illegible]

निवासी [illegible]

[illegible] [illegible] विक्रेता

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

खाता खतौनी क्रम संख्या 39 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपने कुल भूमि में से 62.04% रकबा 0.827 हेक्टेयर अंश को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 15,52,668/- (पन्द्रह लाख बावन हजार छः सौ अड़सठ रुपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 012708

27 NOV 2004
A.T.O/T.O.
TRY.LKO.

विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करती है. तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है. एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा

रुपये 25000 रुपये 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 012709

21 NOV 2024
A.T.O./T.O.
TRY. LKO

- 6 -

सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या

1000 Rs

उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या दखल से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता की घोषणा के अनुसार इस विक्रय पत्र के उपरान्त उक्त खसरा नं0 में विक्रेता के नाम 0.505 हेक्टेयर भूमि शेष

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

Ø400 012711

A.T.O.(R.) TRY.LKO. 17 NOV [illegible]

रखी है अगर विक्रेता या उसके वारिसान या कोई उत्तराधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी तरह का दावा उक्त खसरा नं० पर करते हैं तो वह अवैध होगा।

यह कि क्रेता मिल्कियतशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

(विक्रेता)

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.　　Rs 1000

भारत

एक हजार रूपये　ONE THOUSAND RUPEES

उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.827 हेक्टेयर की मालियत रु0 9,09,700/- होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 1,55,200/- जनरल स्टाम्प

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 012713

-10

अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी व शहीद पथ से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति

100Rs

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

A.T.O./TO.
TRY.LKO

को सहमत है। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा नं0 1196, रकबा 0.827 हेक्टेअर, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

<u>खसरा नं० 1196, रकबा 0.827 हैक्टेयर (62.04%)</u>

पूरब	: सीमा ग्राम [illegible] उर्फ [illegible]
पश्चिम	: खसरा संख्या– 1197
उत्तर	: खसरा संख्या– 1195 व 1200
दक्षिण	: खसरा संख्या– 1205

A.T.O.T.O.
TRY.LKO.

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रु0 15,52,668/- (पन्द्रह लाख बावन हजार छः सौ अड़सठ रुपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. | Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

-14

की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे
और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

A.T.O.(CO.)
TRY. LKO.

लखनऊ
दिनांक: 01.12.2004

गवाह
1.
LKO

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता
(राम सनेही)

मसविदाकर्ता
(बेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट

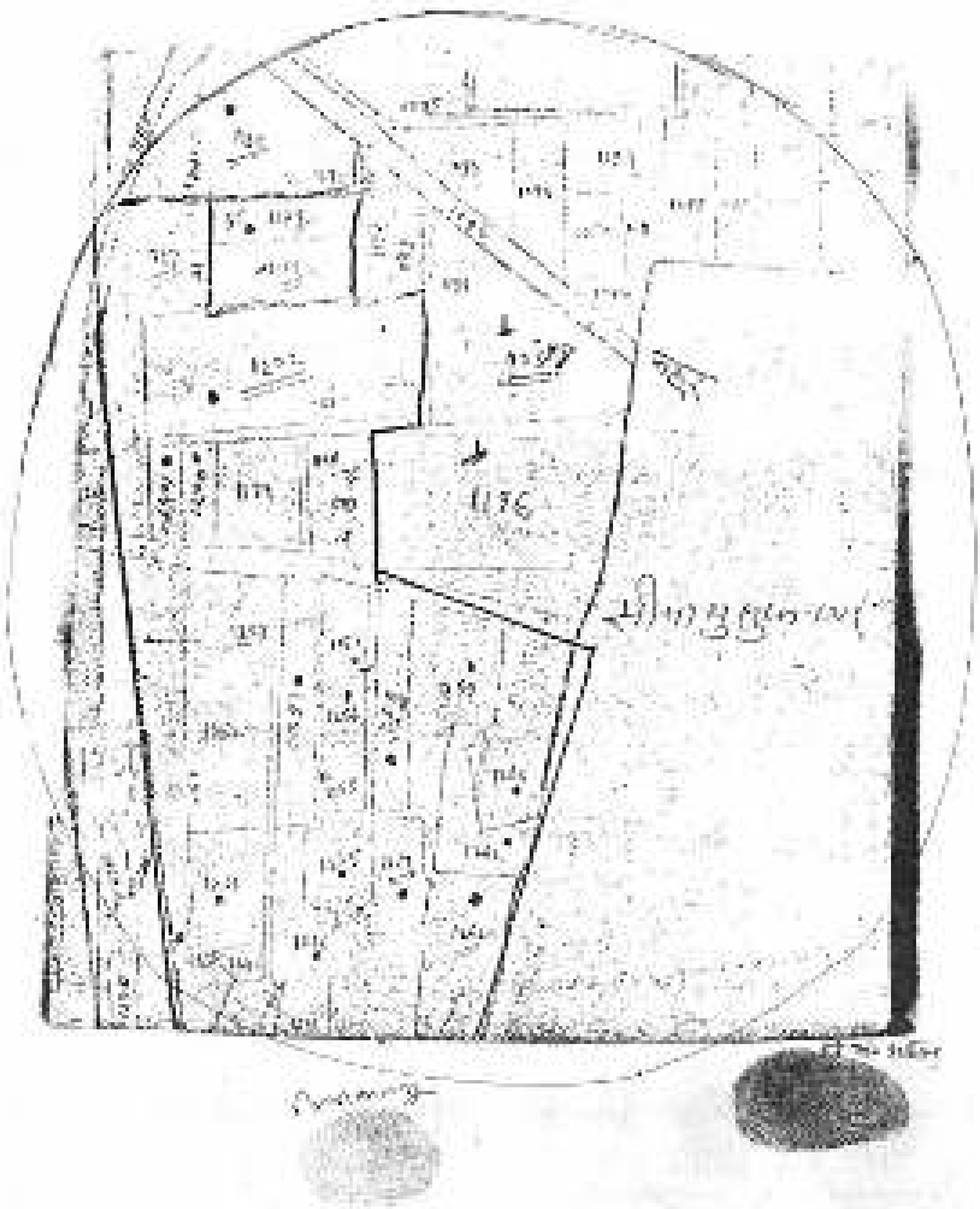
1176

आज दिनांक 01/12/2004 को

बही सं 1 जिल्द सं 4694

पृष्ठ सं 1 से 32 पर क्रमांक 9883

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ